न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 200/23
प्रार्थीगण :-वागाराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति भील, निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :-राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला,बाडमेर।
प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 1 श्री करणसिंह वकील प्रार्थी
2 सरकारी पैरोकार विप्रार्थी

आदेश दिनांक :-31.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है , कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 276 क्षेत्रफल 0.4553 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खेत व सडक के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 3259/157 क्षेत्रफल 4.7253 हैक्टेयर भूमि आई हुए है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पडता है । लेकिन रेकर्ड मे कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अतः प्रार्थी ने ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा सं[illegible]/157 क्षेत्रफल 4.7253 हैक्टेयर भूमि में से होकर गुजरते हु[illegible] भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर[illegible] हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्ट्रर कर विप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ट नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी का नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ । विप्रार्थी का जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि को मौका जांच रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक पचपदरा से तलब की गई ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहरातें हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 276 क्षेत्रफल 0.4553 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 3259/157 क्षेत्रफल 4.7253 हैक्टेयर भूमि आई हुए है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे रास्ता कटाण नहीं होने के कारण विप्रार्थी द्वारा रोक टोक की जाती रहती है, इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौत विकल्प है, तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विवादित भूमि की भू.अ. निरीक्षक पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई, और अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः भू.अ. निरीक्षक पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष मे रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे । प्रार्थी रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निधारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से ही सहमत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत ग्राम मंडापुरा, तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 276 क्षेत्रफल 0.4553 हैक्टेयर से होकर मुख्य सडक पर पंहुचने के लिए बीच खसरा संख्या 3259/157 क्षेत्रफल 4.7253 हैक्टेयर से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया । जिसमे भू.अ.निरीक्षक पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के द्वारा तलब की गई । भू.अ.निरीक्षक पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना मे मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 276 क्षेत्रफल 0.4553 हैक्टेयर से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त भूमि खसरा संख्या मे से प्रस्तावित है, जो अन्तिम विकल्प रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है । इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 3259/157 क्षेत्रफल 4.7253 हैक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया । उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर राशि 1,83,765 /– अक्षरे एक लाख तैयासी हजार सात सौ पैसट रूपये प्रति हैक्टयर है। नियमानुसार रास्ते मे प्रभावित [illegible] के [illegible]दार को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी [illegible] प्रावधान है । इस प्रकार खसरा संख्या 3259/157 मे से प्रस्तावित 0.08050 हैक्टेयर की राशि 1,16,975 /– अक्षरे एक लाख सोलह हजार नौ सौ पिचतर मात्र विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तवित है

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा इन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है । प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है । उपरोक्त बिवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3259/157 मे से प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.08050 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि –1,16,975 /– अक्षरे एक लाख सोलह हजार नौ सौ पिचतर मात्र भुगतान करते हुए भू.अ.निरीक्षक पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे मे ए से बी लाल रंग चौडा दर्शाये अनुसार चौडा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति कुल राशि –1,16,975 /– अक्षरे एक लाख सोलह हजार नौ सौ पिचतर रूपये तहसील कार्यालय पचपदरा मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष मे जमा करवाये जाने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है । भू.अ.निरीक्षक पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेंगा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा